



F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 967 का नवीकरण/Renewal of Type Approval No. 967

विषय/Sub: वाइटोन 1316 से निर्मित रबड़ पिस्टन और सीलिंग कप

Rubber Piston & Sealing Cup Made from Viton 1316

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स सुजन इंडस्ट्रीज़, मूंबई- 400 093, द्वारा वाइटोन 1316 रबड़ कम्पाउंड से निर्मित रबड़ पिस्टन और सीलिंग कप " पार्ट संख्याएं क्रमशः के-296-047-2 और डीटीएसएन-44टी-09बी, को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-967, दिनांक 18 जून 2002 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 967 जारी किया गया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-967/2आर, दिनांक 03 अगस्त 2010 द्वारा नवीकरण किया गया जो कि 30 जून 2015 तक वैध था।

This is to state that the "Rubber Piston & Sealing Cup", bearing the Part Nos. K-296-047-2 & DTSN-44T-09B, respectively manufactured from Viton 1316 Rubber Compound by M/s. Sujan Industries, Mumbai - 400 093, was issued with Type Approval No. 967 vide ref. No. CEMILAC/5070/TA-967, dated: 18th June 2002 and was subsequently renewed vide ref. No. CEMILAC/5070/TA-967/2R, dated: 03rd Aug 2010 and was valid upto 30th June 2015.

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अक्टूबर 2015 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2020 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (कोरापुट), पोस्ट बॉक्स सं. 15, सूनाबेड़ा - 763 002, (उड़ीसा) से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 01st Oct 2015 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st December 2020 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Koraput), Post Box No. 15, Sunabeda - 763 002 (Orissa), three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval letter remain unaltered.

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 967/3R

दिनांक/Date : 27 Oct 2015

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

Phanal

(पी.जयपाल /P. JAYAPAL)

मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)

Chief Executive (Airworthiness)